C20

भारत की सिविल सोसाइटी के लिए सी २० सहभागिता कार्यनीति

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

भारत की सिविल सोसाइटी के लिए सी20 सहभागिता कार्यनीति

मार्च 2019

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रकाशक का आभार प्रकट करते हुए, पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

सहायता: हेनरिच बोल स्टिफटुंग

हिन्दी अनुवाद: राजेन्द्र सिंह जिमिवाल

प्रकाशक:
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सैक्टर, द्वारका,
नई दिल्ली 110 077
फोनः 011–40391661, 40391663
टेलिफैक्सः 011–49148610
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट :www.vaniindia.org

@TeamVANI

@vani_info

डिजाइन एवम प्रिंट :
ईमेल : artworkzdelhi@gmail.com

भारत की सिविल सोसाइटी के लिए
सी२० सहभागिता कार्यनीति

प्रस्तावना

वैश्विक बहुपक्षीय मंच अपने दूरगामी निर्णयों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बढ़ते दबदबे के लिए दुनिया में सर्वत्र स्वीकृति हासिल कर रहे हैं। ऐसा एक मंच जिसने इस तरह की प्रमुखता हासिल की है, वह है जी–20 या 20 का समूह है। दुनिया के लिए विकास की चुनौतियों को पूरा करने के लिए जी–20 के फोक्स ने वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा दिया है जो नेतृव्य मंच की ओर सक्रियतापूर्वक देखने के लिए अभिप्रेरित करता है। जी20 का इतिहास उन वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करने की अपनी रुचि के साथ शुरू होता है जिनमें वैश्विक आर्थिक विकास को बाधित करने की क्षमता थी। परिणामतः, इस समूह ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और ब्रिक्स, आईबीएसए और एमआईकेटीए जैसे अन्य समूहों के लिए एक एकीकृत बल के रूप में भी कार्य किया। अपने वर्तमान ढांचे में, जी20 को एक परिसीमित अंतरराष्ट्रीय संघ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह दूसरे विकासशील देशों को भी अपनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनने के लिए स्थान देता है। इसके अतिरिक्त, इसने निजी क्षेत्र, संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, और शिक्षाविदों आदि जैसे अन्य साधकों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह विचार अधिक सूचना और डाटा उत्पन्न करने के लिए था जो कुशल एवं सरल नीतियां बनाने के लिए उपयोग किया जा सके। हालांकि कुशल नीतिगत निर्णयों को तब तक नहीं साधा जा सकता है जब तक कि सिविल सोसायटी की भागीदारी की गारंटी न हो। तत्पश्चात, एक मंच के रूप में सी20 ने एक लोक–केंद्रित दृष्टिकोण लाने और संवेदनशीलता और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास किया है। यही वह पृष्ठभूमि है जिस पर जी20 नियमित रूप से सी20 फोरम का आयोजन कर रहा है जो वैश्विक सिविल सोसायटी के साथ इंटरफेस का साक्षी बनता है। सी20, जी20 के विकास एजेंडा का अभिन्न अंग है और यह अपने विभिन्न वर्किंग ग्रुपों के साथ नियमित रूप से इंटरफेस करता है। सी20 की प्रगति और औचित्यपूर्णता जी20 के साथ वर्षों तक इस उद्देश्य के लिए किए गए पक्षसमर्थन के जरिए ढाले गए हैं कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें सीएसओ जी20 से जवाबदेही की मांग करने के लिए संपर्क कर सकें और उन्हें अपने दृष्टिकोण से अवगत करा सकें। भारतीय सिविल सोसायटी संगठनों की एक राष्ट्रीय आवाज के रूप में, वाणी सी20 में निरंतर भागीदारी करता रहा है ताकि ऐसी

अनुक्रियाशील नीतिगत रूपरेखाएं तैयार की जा सके, जिन्हें भारतीय जरूरतों के अनुकूल बनाया जा सके। जबकि भारत के पास अभी भी अपने जी20 का आयोजन करने में वक्त है, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि भारतीय सीएसओ उन मुद्दों का निराकरण करने के लिए सामूहिक रूप से काम करें जिन्हें जी20 में ले जाए जाने की जरूरत है। इसलिए, इस दस्तावेज का अभिप्राय ऐसी विभिन्न चुनौतियों को सूचीबद्ध करना है, जिन पर बाद में आने वाले वर्षों में, इन्हें सी20 विज्ञप्ति में शामिल किए जाने के लिए, काम किया जा सके। यह भारतीय सीएसओ के लिए वर्ष 2022 के जी20 के लिए अपने आपको तैयार करने का एक प्रारंभ–बिंदु भी उपलब्ध कराएगा। मैं इस रिपोर्ट को पूरा करने में एचबीएफ द्वारा दिए गए समर्थन के प्रति आभार और अपने वाणी के जी20 मिशनों को आगे बढ.ाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। मैं इस रिपोर्ट के लिए शोध करने और इसे लिखने के लिए वाणी के प्रोग्राम मैनेजर, अर्जुन फिलिप्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।

हर्ष जेटली
मुख्यकार्यकारी अधिकारी

सार

सिविल 20, जी20 प्रेसीडेंसी के साथ इंटरफेस करने के लिए और अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर के सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक अनूठा मंच है। वर्ष 2011 के बाद से सी20, जी20 प्रेसीडेंसी का अनुगमन करता रहा है और मेजबान देश में रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। जी20 की नीतिगत कार्रवाईयों का दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव पड़ता है और सी20 अपने आपको आम लोगों की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है, जो बड़े पैमाने पर समावेशी निर्णय लेने और नीतिगत सुसंगति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह जी20 के प्रयासों को बढ़ाने और एजेंडा 2030 के उद्भव के साथ और सिविल सोसायटी के साथ सहभागिता एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यपरक पहल करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) का उपयोग करने के लिए एक उत्पादक सहभागिता कार्यनीति है। वर्ष 2015 में, वाणी ने उन चार विषयगत क्षेत्रों का गहन विश्लेषण किया, जिन पर जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप द्वारा कार्य किया जाता है। जागरूकता लाने और स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक मुद्दों में ठोस जुड़ाव निकालने के लिए परामर्शों की एक श्रृंखला भी आयोजित की गई थी। चूंकि भारत वर्ष 2022 में जी20 की मेजबानी करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, इसलिए भारतीय सिविल सोसायटी भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अपने आपको तैयार करेगी और ऐसी सुझाव प्रस्तुत करेगी, जिनका जी20 के भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत निराकरण किए जाने की उम्मीद की जाती है। यह विशेष रूप से यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि यह एजेंडा 2030 पूरा होने से 8 साल पहले घटित होगा। दस्तावेज मुख्य रूप से ऐसी चार अभिज्ञात चुनौतियों से संबंधित है, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है– संधारणीय विकास, भ्रष्टाचार और शासन, वित्तीय समावेशन और गरीबी। इसके अतिरिक्त, इसमें सिविल सोसायटी संगठनों के लिए समर्थकारी परिवेश को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता भी शामिल की गई है।

जी20 और वैश्विक विकास

जी20 19 प्रमुख औद्योगिकीकृत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ यूरोपीय संघ से बना हुआ है। इसमें जी7 के साथ विकासशील राष्ट्र जैसे कि ब्राजील, चीन, भारत और रूस शामिल हैं। जी20 के सदस्य दुनिया के दो तिहाई लोगों और इसकी अर्थव्यवस्था के

85प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरू में जी20 का गठन उभरते वैश्विक वित्तीय संकट का निराकरण करने के लिए किया गया था और आर्थिक विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और वैश्विक विकास चुनौतियों के लिए मान्य समाधान खोजने के लिए जी20 राज्याध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों की वार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष जी20 प्रेसीडेंसी एक विकास एजेंडा तैयार करता है जो वैश्विक विकास दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रमुख क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करता है जिसका अनुवीक्षण डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप द्वारा किया जाता है।

हांग्झाओ शिखर सम्मेलन (2016) में, जी20 ने संधारणीय विकास और सभी के लिए अधिक सुदृढ़ और रेसिलिएंस अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2030 एजेंडा पर जी20 कार्य–योजना को अपनाया। वर्तमान में, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास में लगभग तीन चौथाई योगदान देती हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव, आधुनिक और कुशल कर प्रणालियों की कमी, और अनेक नागरिकों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में कमी होने सहित आर्थिक विकास और रेसिलिएंस के प्रति कई प्रकार की बाधाओं का सामना करती हैं। उन मुद्दों के निराकरण का उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और ये वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में मूल्यवान हो सकते हैं। जी20 का स्थायी सचिवालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता रोटेशन आधार पर की जाती है। मुद्दों पर दो व्यापक चैनलों, वित्त चैनल और शेरपा चैनल के माध्यम से चर्चा की जाती है। वित्त चैनल में वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो वित्त के मामलों से संबंधित विचार–विमर्शों की अगुआई करते हैं। विकास एजेंडा के अंतर्गत आने वाले विमर्शों की अगुआई करने के लिए शेरपा चैनल की अध्यक्षता प्रत्येक देश के शेरपा द्वारा की जाती है। शेरपा अंतिम परिणाम दस्तावेजों पर भी बातचीत करते हैं और विभिन्न वर्किंग ग्रुपों के कार्यों को प्रत्यायोजित करते हैं और उनके कार्य का समन्वय करते हैं। ये कार्य समूह नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:–

- फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप
- निवेश और बुनियादी ढांचा वर्किंग ग्रुप
- विकास (डेवलपमेंट) वर्किंग ग्रुप
- भ्रष्टाचार–विरोधी वर्किंग ग्रुप
- रोजगार पर कार्य बल
- जी20 व्यापार संपर्क बैठक
- ऊर्जा संधारणयीता वर्किंग ग्रुप

जी20 का मेजबान देश एक ऐसे विषय को अपनाता है, जो विभिन्न जी20 देशों द्वारा कार्य–योजना की रूपरेखाओं का और इस बात का भी मोटे तौर पर निर्धारण करता है कि प्रत्येक देश का प्रत्येक वर्ष अलग विनिर्देशन हो।

सिविल सोसायटी और सी20 का हस्तक्षेप

सी20 मेजबान देश के प्राथमिकता वाले मुद्दों और जी20 एजेंडा पर चर्चा करने के लिए ग्लोबल सिविल सोसायटी के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। विभिन्न प्रकार के औपचारिक समूह हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर (बी20), लेवर (एल20), यूथ (वाई20), सिविल सोसायटी (सी20) और थिंक टैंक (टी20); क्योंकि जी20 इन सहभागिता समूहों पर निर्भर करता है जो सूक्ष्म नीतिगत सुझाव प्रदान करते हैं। जी20 सदस्यों ने सिविल सोसायटी के साथ काम करने के महत्व को महसूस किया है क्योंकि वे इतने लंबे समय से सामाजिक मुद्दों का निराकरण कर रहे हैं, इस प्रकार, जी20 ने सिविल 20 के माध्यम से एक औपचारिक संवाद कायम किया है। सभी सम्मेलनों में एक निश्चित एजेंडा होता है जिसके इर्द–गिर्द सहभागिता समूह अपनी विज्ञप्तियां तैयार करते हैं। सी20 का नेतृत्व सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा किया जाता है और यह जी20 के मेजबान देश के डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुपों के संपर्क में रहता है। एक संचालन समिति का चुनाव किया जाता है, जो आगे अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष और आधिकारिक ‘‘शेरपा” का चुनाव करती है जो विज्ञप्ति प्रस्तुत करते हैं। सी20 की देखरेख ‘ट्रोइको‘ द्वारा भी की जाती है जिसमें पिछले, वर्तमान और भावी सी20 देश शामिल होते हैं ताकि जी20 के साथ सहभागिता के लिए कार्य में निरंतरता बनी रहे। एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा भी इसका मार्गदर्शन किया जाता है जो सम्मेलन के परिणामों का संचालन और अनुवीक्षण करता है। इसके अलावा, सिविल सोसायटी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जी20 के सहभागिता समूहों में भाग लेकर सुशासन के अनुसार कार्य करे और अपना निर्णय लेने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानक का पालन करे। सी20 की प्रक्रिया संरचित नहीं है, इसलिए प्रेसीडेंसी अपने अभिमुखीकरण में परिवर्तन की सुविधा देता है। इसके अलावा, जी20 का विकास प्रतिबद्धता मानीटर के जरिए अनुवीक्षण किया गया है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में जी20 विज्ञप्तियों पर सी20 की अनुवर्ती कार्रवाईयों की निगरानी करने में कमी हुई है।

भारत और जी20

भारत जी20 के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभरा है और इसने बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करने, समावेशी विकास की आवश्यकता पर जोर देने, वित्तीय आतंकवाद का मुकाबला करने और एक सुदृढ़ वित्तीय संरचना का अनुशीलन करने के अलग–अलग प्रयास किए हैं। भारत का मुख्य अधिदेश संधारणीय वित्तीय व्यवस्था बनाने, उत्पादक बाजार परिवेश को उत्प्रेरित करके रोजगार का सृजन करने और सर्वनिष्ठ साझा समाधान खोजने के इर्द–गिर्द तैयार किया गया है; जी 20 सम्मेलन द्वारा संधारणीय विकास और गरीबी उन्मूलन की अनुमति दी गई है। जी20, 2018 के मौके पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2022 में जी20 की मेजबानी करेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना बड़ा वैश्विक आयोजन भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा। कुछ वर्षों के अंतराल में ऐसे दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए हैं जो उस तात्कालिकता के सूचक हैं जिसके साथ भारतीय सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) को जी20 के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले, जी20 के उद्भव ने वैश्विक बहुपक्षीय परिवेश को पुनर्निर्धारित कर दिया है जहां व्यापार एवं निवेश तथा विकास के एजेंडे के वित्तपोषण पर नीतियां जी20 द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि भारत द्वारा आर्थिक ऊंचाईयां प्राप्त करने से ब्रिक्स, आईबीएसए आदि जैसे नए संगठनों में इसे अच्छा–खासा राजनीतिक प्रभाव प्राप्त हुआ है। इस आधार पर, भारतीय सरकार जी20 में अपने एजेंडे को बढ़ावा देने की स्थिति में है।

भारत की सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों को पहचानना

उच्च आर्थिक विकास हासिल करने के बावजूद ऐसी संरचनात्मक कमियां हैं जो भारत के विकास की प्रगति को बाधित करती हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक रूपरेखा उन विकास नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार रही है, जिनसे अधिकांश आबादी को फायदा पहुंचा है। हालांकि, अभी भी आर्थिक विकास उन विकासपरक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं रहे हैं जो एक विकसित राष्ट्र होने के लिए भारत की आकांक्षाओं को बोझ बना रहे हैं। यूएनडीपी के संकेतकों के अनुसार, भारत की 1.21 बिलियन की आबादी में 31प्रतिशत लोग गरीब हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत को 2030 तक गैर–संचारी रोगों और मानसिक विकारों के कारण $6.15 ट्रिलियन का नुकसान होने वाला है। पानी और स्वच्छता के मुद्दे पर, 732 मिलियन लोगों के पास साफ और स्वच्छ शौचालय की सुविधाएं नहीं है, जिनमें से अधिकतर महिलाएं या लड़कियां हैं और 163

मिलियन से अधिक लोगों को स्वच्छ पानी की पहुंच नहीं है। मौसम परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि के प्रभाव से भारत प्रभावित होगा और इससे खाद्य असुरक्षा, आय हानि, प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों आदि के माध्यम से जनसंख्या के अरक्षित वर्ग पर असर पड़ेगा। भारत दुनिया में 287 मिलियन निरक्षर वयस्क लोगों का निवास–स्थान है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, मौद्रिक सशक्तिकरण का पर्याप्त रूप से मात्रा–निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि वित्तीय सेवाओं की अभिगम्यता में 54 प्रतिशत से 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के त्वरित परिवर्तन में उस अनम्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए जो जाति और असमानता जैसे सामाजिक विश्वासों से प्रभावित हुई है। एनसीआरबी में 27.6 प्रतिशत सजा दर के साथ एससी(45003) और एसटी(10912) के खिलाफ अत्याचार के मामलों को सूचीबद्ध करता है। यह इस ओर इशारा करता है कि मार्जिनलाइजेशन लोगों के लिए सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाने में कमी है, साथ ही उनकी न्याय लेने में सीमित पहुंच है और मुख्यधारा का हिस्सा बनने में असमर्थ हैं। इसलिए समग्र विकास के लिए ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप और उन लकीरों को जो उन्हें अलग करती है, को कम करना होगा। भ्रष्टाचार सूचकांक पर, भारत 81वें स्थान पर है, जो इसके वित्तीय संसाधनों को दवाब में लाने और विकास को बाधित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में रोजगार–विहीन वृद्धि ने एक चिंताजनक स्थिति और दबाव बनाया है। भारत की सामाजिक–आर्थिक चुनौती का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो सरकार से इस बात की अपेक्षा करता है कि वह उन असंतुलनों को ठीक करने के लिए कड़े नीतिगत उपाय करे जो भारत की संभावना और विकास को रोक रहे हैं। भारत सरकार इन समस्याओं को स्वीकार कर इनका समाधान करना चाहती है और भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जो कार्यान्वयन में तेजी लाने और विकासपरक चुनौतियों के कारण होने वाले जोखिमों को कम से कम करने के लिए एजेंडा 2030 से जोड़ा जाए। आगामी 2022 जी20 भारत को इन मुद्दों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने का अवसर प्रदान करता है और भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों में भावी अनुरूपता हासिल करने में सुचारू परिवर्तन की परिकल्पना करता है।

जी20–2022 के लिए भारतीय सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तावित सिफारिशें

एक कारगर जी20 परिणाम के लिए, सिविल सोसायटी 2022 के लिए विकास के दृष्टिकोण को तैयार करने में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में गहरी रुचि रखती है क्योंकि

वे अनेक मंचों पर इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। प्रमुख सुझाव मुख्य कमियों को दर्शाती हैं जो जमीनी स्तर से जुटाई गई हैं। यह नोट करना आवश्यक है कि इस आधार पर की गई नीतिगत पहल से, भारत द्वारा सामना की जा रही सामाजिक–आर्थिक न्यूनताओं के लिए एक व्यापक समाधान हासिल होगा और संभवतः दूसरे विकासशील देशों के लिए एक प्रतिमान हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि जी20 विकास दृष्टिकोण मे ये सुझाव भारतीय प्रेसीडेंसी के लिए प्राथमिकता वाली कार्रवाईयों के रूप में शामिल की जाएं क्योंकि भारतीय सिविल सोसायटी जी20 2022 के प्रति सरकार के अभिप्राय के प्रति आशावादी है।

1 **आय सुरक्षा को बढ़ावा देना –** सहनीय नौकरियों तक पहुंच के माध्यम से; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना; और वित्तीय साधनों–सूक्ष्म ऋण जो समाज के निर्धन वर्गों की जरूरतें पूरी करते है–को विकसित करना।

2 **स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना –** प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के माध्यम से; अभिनव और किफायती बीमा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को पहुंच में लाना और; निजी निवेश को बढ़ावा देना।

3 **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना –** शैक्षिक संस्थानों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करके, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना; युवा के बीच शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा देना और; व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं कौशल शिक्षा को मुख्यधारा में लाना।

4 **प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना –** सूचना की यथासमय पहुंच होना; आपदा के लिए तैयारी को और सुदृढ़ करना; पीड़ितों के लिए राहत, स्वास्थ्य–लाभ और पुनर्वास सुनिश्चित करना।

5 **शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रबंधन –** आर्थिक तरक्की का फायदा उठाने के लिए बेहतर नीतियां स्थापित की जानी चाहिए जिससे कि संधारणीय साधनों के माध्यम से शहरी और औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं की जरूरतें पूरी की जा सके। उपायों में अग्रलिखित शामिल हैंः दीर्घस्थायी शहरों का निर्माण करना; योजना में आपदा जोखिम में कमी, रेसिलिएंस और पर्यावरण जोखिमों पर विचार करना; रसायनों और कचरे का सही प्रबंधन; स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं आदि के बारे में सार्वजनिक जागरूकता आदि।

6 **मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और खतरों के जोखिम का प्रशमन –** भारत की विकास योजनाओं में आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सरोकारों के बीच संतुलन कायम

करना चाहिए। इन सरोकारों में अग्रलिखित शामिल हैं: हितधारकों के बीच जागरूकता लाना; आपदा जोखिम में कमी को मुख्यधारा में लाना और मौसम परिवर्तन अनुकूलन योजनाएं आदि।

7 **वायो डाइवर्सिटी को सुरक्षित करना** – उप–क्षेत्रीय वायो डाइवर्सिटी का ह्रास भारत के लोगों के साथ–साथ वैश्विक समुदाय पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्रवाई के लिए कुछ मुख्य प्राथमिकताएं हैं: इको–सिस्टम की शुरुआत करना; वायो डाइवर्सिटी का मानचित्र और दस्तावेज; जल–खाद्य–ऊर्जा बंधन का प्रबंधन करके साइल–क्रोसिओं, भूस्खलन आदि से होने वाले नुकसान को कम से कम करना।

8 **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना** – पीडीएस और कृषि अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करना; उचित मूल्य–निर्धारण साधनों के माध्यम से किफायतीपन को बढ़ाना।

9 **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना** – ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाना; ग्रामीण विद्युतीकरण, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना; ऊर्जा दक्षता और विविधीकरण पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

10 **जल सुरक्षा प्रदान करना** – एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण करना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जल की पहुंच में सुधार लाना।

11 **पारदर्शिता को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को कम करना** – भारत को अपनी प्रणालियों में और शासन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने की दिशा में अवश्य कार्य करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में विभिन्न कारकों के साथ मिलकर अवश्य काम करना चाहिए। 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के वर्तमान राजनीतिक नारे के लिए प्रणालियों के लिए संवेदनशील, नागरिक केंद्रित, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और अपनी अनुक्रियाओं में कुशल होने की जरूरत है। इसलिए, देश में सरकार और राजनीतिक नेतृत्व को शासन की ऐसी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो सभी के लिए शिक्षा; सहभागी विकास; भर्तियों और नौकरशाही के कामकाज में सुधार संभव करे और; गैर–सरकारी व्यवसाय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कं०म्पैक्ट के 10 सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए।

12 **प्रभावी और सर्वसुलभ वित्तीय समावेशन के लिए सुझाव** – समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार समावेशी विकास और प्रगति को प्राप्त करने की एक पूर्व–शर्त है। समग्र रूप से, ग्रामीण और वित्तीय रूप से पिछड़े पॉकेटों में वित्तीय समावेशन से विकास और समृद्धि की अगली क्रांति शुरू होगी। इसका मतलब यह है

कि देश के सबसे गरीब जिलों और क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं को बढ़ाना। भारत में सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरतों से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने की आवश्यकता है।

13 **सामाजिक बहिष्करण –** यह समावेशी विकास के प्रति भेदभाव का एक रूप है। भारत में सामाजिक बहिष्करण जाति, नस्ल, धर्म, लिंग और विकलांगता सहित पहचानों के आधार पर घटित होता है। सामाजिक बहिष्करण का सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों की गरीबी की स्थिति पर एक निर्विवाद प्रभाव पड़ता है। विशेषकर, वे संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में भेदभाव का सामना करते हैं। इस प्रकार, शिक्षा और कार्यबल में जेंडर गैप को कम करने और असमाविष्ट, अरक्षित और विकलांग समूहों को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।

14 **सिविल सोसायटी संगठनों के लिए एक समर्थकारी परिवेश को बढ़ावा देना –** भारत में सिविल सोसायटी कार्रवाई दशकों से सामाजिक–आर्थिक विकास के उद्देश्य की सक्रियतापूर्वक वकालत और समर्थन करती रही है। हालांकि, सिविल सोसायटी सेक्टर के लिए प्रचालनात्मक परिवेश को बाधित करने वाली अल्पकालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों के साथ इस विजन को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं रहा है। एक असहयोगात्मक नियामक व्यवस्था, संसाधनों तक सीमित पहुंच, स्थानीय ब्यूरोक्रेसी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पीड़न करना और निवारण तंत्रों की अनुपस्थिति ने सिविल सोसायटी संगठनों के मुख्य उद्देश्यों को कमजोर कर दिया है। लंबे समय से सिविल सोसायटी सेक्टर ने सरकार से एक ऐसे समर्थकारी परिवेश की उम्मीद की है जो इसके दीर्घस्थायित्व को सुनिश्चित कर सके।

जी20 2022 के लिए, सिविल सोसायटी सेक्टर तीन बुनियादी मांगों के पूरे किए जाने की उम्मीद करता है जो इस सेक्टर के वृहत्तर स्पेक्ट्रम में प्रचालन बाधाओं के रूप में लंबे समय से कठिनाई उत्पन्न करने वाले मुद्दों का गंभीरतापूर्वक निराकरण कर देगा

जी20–2022 के लिए भारत सरकार द्वारा अपेक्षित कार्य–बिंदुएं

- भारत में सिविल सोसायटी संगठनों की विनियामक व्यवस्था को सुमेलित करना और इनमें सुधार लाना।
- सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) को अपनी गतिविधियां निष्पादित करने के लिए

पर्याप्त संसाधन और सांस्थानिक सहायता प्रदान करना।

– भारत की विकास परियोजनाओं में सीएसओ की भागीदारी सुनिश्चित करना

निष्कर्ष

भारतीय सिविल सोसायटी को भारत सरकार से इस बात की बहुत उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय मोर्चे पर इन मुद्दों पर काम करे और उन्हें 2022 में अपने आगामी जी20 प्रेसीडेंसी के लिए इकमुश्त रूप में प्रस्तुत करे। ये सभी विकासात्मक चुनौतियां आने वाले वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और अपनी उपलब्धियों को उपलब्ध कराने और भावी वैश्विक मूल्यांकन और अनुकरण के लिए सबक सीखने, की आवश्यकता के साथ रेखांकित की गई हैं। भारत के सिविल सोसायटी संगठनों के पास व्यापक अनुभव है और इनके पास बहुमूल्य सामाजिक/व्यावहारिक उदाहरण हैं जिन्हें भारत सरकार के नीतिगत प्रतिपादन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि भारत सरकार सिविल सोसायटी को परिनियोजित करने में समानता बरते और विकासपरक परिणाम हासिल करने के लिए सिर्फ निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने तक सीमित नहीं रहे। सिविल सोसायटी समूह विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अच्छी तरह निभाते हैं, और इनमें से कुछ में तो वे सचमुच अद्वितीय हैं। महत्वपूर्ण रूप से, यह देखते हुए कि अत्यधिक रूप से लोकतांत्रिक राज्य भी अपने आप पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त रूप से सुविधा–युक्त नहीं हैं, सिविल सोसायटी अधिकारों और स्वतंत्रता की संरक्षक है; वास्तव में, इसके अस्तित्व को उदार राज्य की उत्पत्ति के पीछे खोजा जा सकता है – एक ऐसा राज्य जो सिविल सोसायटी में अपनी स्वयं की शक्ति के प्रयोग की सीमाओं को पाता है। सिविल सोसायटी सीमाएं अधिरोपित करती है और स्पष्टीकरण मांगती हैः यह सरकार से जवाबदेही मांगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल सोसायटी संगठन यह सुनिश्चित करने के साधन रहे हैं कि प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार की ओर से पर्याप्त ध्यान दिया जाए जबकि सिविल सोसायटी प्रहरी के सदृश इंटरवेन्शन करते रहें। भारत जैसे स्वस्थ लोकतंत्र को सिविल सोसायटी के साथ अंतःक्रियाओं और सहभागिता के लिए मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां सार्वजनिक नीति और सामंजस्य के लिए जनता की राय एकत्र की जा सके। इन बातों के साथ भारत की सिविल सोसायटी को उम्मीद है कि इसकी सुझावों को विधिवत रूप से दर्ज किया जाएगा और इन पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। भारतीय सिविल सोसायटी सी20–2022 में भारत सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव कायम करने के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षारत है।

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंशिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी और हिन्दी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेशनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिपः ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

वाणी वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) का संक्षिप्त परिचय

वाणी स्वैच्छिक विकास संस्थाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। इस समय वाणी के 540 सदस्य हैं जिनकी भारत की पहुंच 10000 स्वैच्छिक विकास संस्थाओं तक है। वाणी के सदस्यों में जीमनी स्तर की संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक शामिल हैं। वाणी के सदस्य देश के कुछ सबसे दूर–दराज के क्षेत्रों में अनेक प्राथमिकतापूर्ण विकास मुद्दों पर काम करते हैं जैसे कि शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मौसम परिवर्तन, जल और स्वच्छता, आपातकालीन प्रत्युत्तर और तैयारी, कृषि, निर्धनता, आदि। वर्ष 2017–18 में हमारे नेटवर्क ने बच्चों, विगलांगों, महिलाओं, वृद्धों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, विपदा पीड़ितों, बेरोजगारों, युवाओं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों, यौन कर्मियों सहित समाज असुरक्षित और सीमांमीकृत समूहों के 32 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई। अपने प्रयासों और रणनीतियों के माध्यम से वाणी का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी एक मजबूत नागरिक समाज का निर्माण करना है।

वाणी की स्थापना स्वैच्छिक कार्य को प्रोन्नत करने और मूल्य–आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई को पोषित करके स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए स्थान निर्मित करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। वाणी के हस्तक्षेप बाहरी और आंतरिक समर्थकारी वातावरण को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहे हैं। वाणी साक्ष्य–आधारित एडवोकेसी करती है जिसमें नियमनकारी ढांचे और संसाधन जनन शामिल हैं। यह उद्देश्य हासिल करने के लिए वाणी सरकार, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। वाणी परस्पर संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रमों और सूचना प्रचार–प्रसार के माध्यम से लचीलापन निर्मित करने और जवाबदेही, पारदर्शिता और अनुपालन को प्रोन्नत करने की दिशा में कार्य करती है। वाणी साक्ष्य–आधारित शोध आयोजित करके, अध्ययनों, लेखों और रिपोर्टों का प्रकाशन करके न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी एक संसाधन केंद्र बनने के लिए प्रयासरत है।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट,
सैक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077
फोन : 011–40391661, 40391663, टेलिफैक्सः 011–49148610
ईमेलः info@vaniindia.org, वेबसाइटः www.vaniindia.org